द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट सिद्व है कि विवादित भूमि बाबत वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है एंव वादीगण से असम्बन्धित भूमि बाबत वाद प्रस्तुत करने से विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा मे भी आता है। अन्त मे वाद पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

वादी अभिभाषक के द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र मे सहवन की त्रुटिवश हुई गलती के सुधार हेतु दिनांक 26.10.2017 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151जा0दी0 प्रस्तुत कर वाद पत्र से हाल खसरा नम्बर 1756, 1757, 1762 एंव प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नाम तर्क करने हेतु निवेदन किया जा चुका है जिससे उक्त खसरा नम्बर एंव प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नाम तर्क किया जाकर शेष वाद पत्र की हद तक वाद को संधारण योग्य होने बाबत कथन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एंव प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 तथा स्वंय वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का अवलोकन मय राजस्व रेकार्ड एंव दृष्टान्तो सहित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बूबानी स्थिति भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1756 रकबा 0.71है0, 1762 रकबा 0.36है0 किस्म चाही–3, व 1757 रकबा 0.05है0 किस्म बारानी–2 से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है उक्त आराजियात के बाबत वादीगण द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से उदघोषणा खातेदारी/बटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति हेतु न्यायालय से तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मे आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश नही कर आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। चूंकि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से आदेश 6 नियम 17 स्वतः निरस्त, जिसे स्वंय वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 मे स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त वर्णित आराजियात वाद पत्र मे त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित की गई है एंव प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को भी गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है जबकि इनके विरूद्व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है एंव उक्त वर्णित आराजियात से वादीगण का कोई सरोकार नही होने के कारण वाद पत्र विधि के द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी मे पाये जाने से प्रथम दृष्टया वाद पत्र संधारण योग्य नही होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वाद कारण के अभाव मे एंव विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा मे आने के कारण तथा न्यायालय से तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किये जाने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14/11/17 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर